विज्ञापन

वर्ष 2014-15 के दौरान कोषिंग कार्यक्रम चलाने हेतु केवल उन पंजीकृत सोसाइटियों/पंजीकृत कंपनियों/दस्त्र आदि से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए इस मंत्रालय द्वारा चयनित किया गया था और तत्पश्चात् कोषिंग कार्यक्रम दिया गया था।

2. निर्धारित प्रपत्र भाग-1 एवं भाग-2 में प्रस्ताव निर्देशक (एसएस), अत्यसंख्यक कार्य मंत्रालय, कमरा संख-1123, पर्यावरण भवन, लोही रोड, सी-जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली को निष्कृत कोषिंग एवं संबंध योजना के अंतर्गत 2014-15 के लिए कार्यक्रम के आवंटन हेतु विचार करने के लिए, जैसे ही वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रदान किए गए कोषिंग कार्यक्रम का परिणाम/नतीजा उपलब्ध हो जाए, भेजे जा सकते हैं।

3. प्रस्ताव के निर्धारित प्रपत्र भाग-1 एवं भाग-2 मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. यह निष्कृत कोषिंग एवं संबंध योजना के दिशा-निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार है।